भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्या 1379

28 जुलाई, 2015 के लिए प्रश्नम

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

1379. श्री जितेन्द्र चौधरी:
श्रीमती नीलम सोनकर:
श्री रामा किशोर सिंह:
श्री परेश रावल:
श्री राजू शेट्टी:
श्री तारिक अनवर:
श्री रवनीत सिंह:
श्री सी. आर. चौधरी:
श्री शंकर प्रसाद दत्ता:
श्री दुष्यंत चौटाला:
श्री बी. वी. नाईक:
कुँवर भारतेन्द्र सिंह:
श्री आर. गोपालकृष्णन:
श्री विजय कुमार हासंदाक:
श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:
श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश:
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल:
श्री नन्दी एल्लैया:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों के प्रबंधन और भंडारण क्षमता के विस्तार के मामले पर चर्चा हेतु हाल ही में दिल्ली में राज्यो के खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और किन मामलों पर चर्चा की गई और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये और इसके क्रियान्वयन और भंडारण क्षमता में वृद्धि के संबंध में जागरुकता फैलाने हेतु क्या कदम उठाये गए;

(ग) देश में वर्तमान योजना के अंतर्गत आधुनिक और वैज्ञानिक गोदामों के सृजन हेतु निश्चित और प्राप्त किये गये लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और देश में वर्तमान में भंडारण स्थान की आवश्यकता और उपलब्धता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या राज्यों ने भंडारण क्षमता में वृद्घि करने हेतु सरकार से सहायता/राजसहायता मांगी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

...2/-

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री राम विलास पासवान)

(क) और (ख) : राष्ट्री□य खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की प्रगति , वाजिब मूल्यों पर आवश्यक जिंसों की उपलब्धता के उपायों तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कंप्यूटरीकरण के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए खाद्य मंत्रियों की एक बैठक हाल ही में , आयोजित की गई थी। इस अवसर पर कुछ राज्यों में गोदामों के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि के आवंटन से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया।

(ग): खाद्यान्नों के भंडारण के लिए फिलहाल पर्याप्त भंडारण क्षमता उपलब्ध है। दिनांक 30.06.2015 की स्थि ति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 545.75 लाख टन के स्टॉक की तुलना में भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य एजेंसियों के पास 754.26 लाख टन भंडारण क्षमता उपलब्ध है।

तथापि , भंडारण क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए योजना स्कीम के अन्तर्गत और निजी निवेशकों के माध्यम से सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) पद्धति से आधुनिक तथा वैज्ञानिक गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अन्तर्गत 3,68,950 टन क्षमता के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से दिनांक 30.06.2015 की स्थिरति के अनुसार 78,060 टन क्षमता का निर्माण कर लिया गया है।

इसके अलावा , निजी उद्यमी गारंटी योजना के अन्तर्गत 20 राज्यों में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी पद्धति से गोदामों के निर्माण के लिए 150 लाख टन क्षमता संस्वीकृत की गई है। इसमें से अब तक 128.13 लाख टन की क्षमता पूरी कर ली गई है।

(घ): राज्यों से सहायता/राजसहायता के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

******